फर्द अहकाम

...नय

सीताराम बनाम कैलाश

...ा संख्या / वर्ष 12/2016 : ______ / 20______

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२५/५/२४	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रस्तुत की वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति बाद सीमा दो बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 12/2016
निर्णय दिनांक :24.04.2024

उनवान

1 सीताराम पुत्र सुवालाल (दौराने दावा फौत)
1/1 लालचन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
1/2 हरिनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर,
1/3 गणेशनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर,
1/4कैलाश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर,
1/5श्रीमती तीजा देवी पत्नी स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर,
1/6रामप्यारी पत्नी श्री कैलाश शर्मा पुत्री स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सरणा डुगर तहसील झोटवाडा जिला जयपुर
1/7श्रीमती गुडडी देवी पत्नी श्री सागरमल पुत्री स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम भम्भौरी तहसील झोटवाडा जिला जयपुर
1/8श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री बिरदीचन्द पुत्री स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आल्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर
1/9 श्रीमतीकौशल्या पत्नी श्री बाबूलाल पुत्री स्व0 श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आल्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर,
2 कल्याण पुत्र भैरू
3 जगदीश पुत्र जगन्नाथ
4 हनुमान
5 रामप्रसाद
6 कन्हैयालाल
पुत्रान स्व0 श्री नाथू पुत्र जगन्नाथ
7 श्रीमती केशर देवी पत्नी स्व0 श्री नाथू समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
8 श्रीमती लाली देवी पुत्र स्व0 श्री नाथू पत्नी श्रीराम
9 श्रीमती सीता पुत्र स्व0 नाथू पत्नी फूलचन्द
समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम चौखावाला तहसील फागी जिला जयपुर
10 श्रीमती ममता पुत्री स्व0 श्री नाथू पत्नी महादेव जाति बागडा ब्राहमण निवासी जानकीवल्लभपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादीगण

बनाम

1 कैलाश
2 प्रहलाद — पुत्रान नाथू पुत्र कल्याण
3 सीताराम

4 श्रीमती कानी पत्नी स्व0 नाथू
समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

5 श्रीमती धापू पुत्री नाथू पत्नी नानगराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी कल्याणपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर

6 ग्यारसी पुत्री नाथू पत्नी सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सवाई जयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर

7 श्रीमती गुलाब देवी पुत्री नाथू पत्नी गोपाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम खटवाड तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

8 श्रीमती लाली पत्नी स्व0 श्री छीतर (नाम हजफ आदेश दिनांक 24.04.2024)

9 श्रीमती आंची पुत्री स्व0 श्री छीतर
समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ए ब्लाक जे.डी.ए. क्वाटर बक्शावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

10 श्रीमती सीता पुत्री स्व0 श्री छीतर जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम भावगढ बंध्या वाया लुनियावास तहसील सांगानरे जिला जयपुर

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

12 उप पजीयक द्वितीय सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

<u>[illegible]</u>

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि [illegible] श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी [illegible] साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा न0 554 रकबा 1 बिघा 12 [illegible], जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25/5/1974 के द्वारा प्रतिवादी सख्या एक लगायत सात के पूर्वज नाथू

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पुत्र कल्याण व प्रतिवादी सख्ंया आठ लगायत दस के पूर्वज छीतर पुत्र कल्याण से कय किया था, तथा साविक खसरा न0 546 रकवा 2 विघा 17 विस्वा को वादी संख्या एक लगायत तीन व वादी संख्या चार लगायत दस के पुर्वज नाथू पुत्र जगन्नाथ ने जरिये विकय पत्र दिनांक 25/5/1974 को कय किया था उसी दिन वादीगण उक्त कयशुद्वा भूमि पर काविज होकर उसमे कृषि काश्त करने लग गये।उक्त कयशुद्वा कृषि भूमि खसरा न0 554 रकवा 1 विघा 12 विस्वा के हाल खसरा न0 944 रकवा 0.34 है0, व खसरा न0 546 रकवा 2 विघा 17 विस्वा के हाल खसरा न0 930 रकवा 0.06 है0, खसरा न0 931 रकवा 0.19 है0, खसरा न0 932 रकवा 0.45 है0, खसरा न0 945 रकवा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.80 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बने जिस पर कय करने की दिनांक से आज तक वादीगण काबिज होकर अपने अपने हिस्से कृषि काश्त करते आ रहे है।उक्त कयशुद्वा भूमि का विकय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम से नामान्तरण नही खुला इस कारण उक्त भूमि के विकयता नाथू , छीतर पुत्रान कल्याण के फौत होने पर उक्त भूमि मे छीतर का विरासत का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या आठ लगायत दस के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गया परन्तु प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के पिता नाथू के विरासत का नामान्तकरण नही हुआ उक्त भूमि पर कय करने की दिनांक से आज तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा वादीगण अपने अपने हिस्से पर बद्दस्तुर चालू है। इस कारण वादीगण का लगातार विकय पत्र के आधार पर 41 वर्षो से कब्जा काश्त है इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार खत्म होकर वादीगण मे निहित हो गये।वादीगण को उक्त बात का पता तब चला जब उक्त भूमि के विकेता नाथू द्वारा श्रीमान न्यायालय मे एक वाद उनवानी नाथू बनाम श्रीमती लाली वास्ते तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिस पर वादीगण के द्वारा काउन्टर क्लेम श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वादीगण ने उक्त कयशुद्वा भूमि को अपनी बताते हुये विकय पत्र के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की इस्तदुआ की परन्तु नाथू के फौत होने पर उसके कायमुकाम समय पर पेश नही करने के कारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद को अबैट होने के कारण खारिज कर पत्रावली दाखिल दफतर कर दी गई।नाथू के फौत होने पर प्रतिवादी सख्ंया एक लगायत दस वादीगण को यह आश्वासन दिया कि उक्त भूमि को हमारे पूर्व नाथू, छीतर पुत्रान कल्याण ने आपको विकय कर दिया है तथा कब्जा भी आपका ही है तो हम आपके नाम से न्यायालय मे उपस्थित होकर लगवा देगे। परन्तु प्रतिवादी एक लगायत दस के मन मे लालच आ गया इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण को केवल आश्वासन देते है तथा दिनांक 11/12/2015 को उक्त भूमि को वादीगण के नाम न्यायालय मे उपस्थित होकर लगवाने से [illegible] किया। इस कारण वादीगण को यह वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] करना लाजमि हुआ।दिनांक 22/5/2005 को श्रीमान तहसीलदार [illegible] के पत्र क्रमांक भूअ/3103 के सन्दर्भ मे अपनी रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत की जिसमे तत्कालिन पटवारी हल्का ने वादीगण के विकय पत्रो [illegible] वस्तु स्थिती की

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जांच, रिकार्ड, मौका पटवारी रिपोर्ट एवं विक्रेता के मजेमआम के ब्यानो आधार पर हमराह पटवारी हल्का ने दिनांक 22/7/2005 को ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर पहुचा मौके पर नाथू पुत्र कल्याण जाति बागडा ब्राहमण को चौपाल मे ग्राम मौतविरान के समक्ष बुलाया जाकर बयान वास्ते जांच लिये गये विक्रेता नाथू पुत्र कल्याण ने वताया की मैं व मेरा भाई छीतर दोनो ने हमारी खातेदारी भूमि जो रिपोर्ट मे दर्शायी गई है का हमारी खातेदारी होने के कारण दिनांक 25/5/1974 को जरिये रजिस्ट्री के सीताराम वगैरह को बैचान कर दिया था और उसी समय से हमने केताओ को कब्जा सम्भलावा दिया था तथा सन 1974 से कब्जाकाश्त केताओ द्वारा ही की जा रही है। उपरौक्त विकय की गई भूमि को हमने पुनः किसी अन्य व्यक्ति को वैचान, विनिमय, रहन, नही किया है, केतागण यदि उपरौक्त कयशुद्वा भूमि का मुताबिक विकय पत्र नामान्तरण खुलवाना चाहे तो हमे किसी प्रकार आपत्ति नही है उक्त बयानात की साक्षी के लिए नाथू के बयान मजेमआम मे लिए गये। छीतर मृत्यु हो चुकी थी और उसकी पत्नी श्रीमती लाली देवी छीतर की मृत्यु के दस ग्यारह महिने ही गावं छोडकर ग्राम श्योपुर मे रहने लग गई थी तो उसने विकय पत्रो के वारे मे जानकारी होना नही वताया इससे स्पष्ट है कि विकय पत्रो की दिनांक से ही वादीगण का कब्जा काश्त रहा है।वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि साविक खसरा न0 554 रकवा 1 विघा 12 विस्वा के हाल खसरा न0 944 रकवा 0.34 है0, वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर भूमि मे वादी संख्या एक को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये अप्रार्थी संख्या आठ लगायत दस व एक लगायत सात के पिता नाथू के स्थान पर प्रार्थी सख्या एक का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे। व साविक खसरा न0 546 रकवा 2 विघा 17 विस्वा के हाल खसरा न0 930 रकवा 0.06 है0, खसरा न0 931 रकवा 0.19 है0, खसरा न0 932 रकवा 0.45 है0, खसरा न0 945 रकवा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.80 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या आठ लगायत दस व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के पिता नाथू के स्थान पर वादी सख्या एक को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्सा, व वादी संख्या तीन को 1/6 हिस्सा व वादी सख्या चार लगायत दस को 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्ध फरमाया जावे कि जब तक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर उनका नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित नही कर दिया जाता तब तक प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस उक्त आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति संस्था, इत्यादि को विकय रहन, इकरारनामा इत्यादि तस्दीक नही करे और न ही करावें तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। प्रतिवादी संख्या ग्यारह को उक्त आराजीयात [illegible] रिकार्ड की यथास्थिती वनाये रखने तथा प्रतिवादी संख्या ग्यारह [illegible] आराजीयात का विकय, रहन, इकरारनामा, मुख्तयारनामा इत्यादि [illegible] तस्दीक न करने वावत पावन्ध फरमाया जावे।वाद कारण दिनांक [illegible]/12/2015 को तब भुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या एक लगायत दस ने [illegible] भूमि को वादीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय मे उपस्थित होकर लगवाने से मना कर देने से भुरू होकर निरन्तर जारी है।

अतः वाद पत्र मय भापथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे :–

(क) वादीगण घोशणा करवाने के अधिकारी है कि साबिक खसरा न0 554 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा के हाल खसरा न0 944 रकबा 0.34 है0, वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर भूमि मे वादी संख्या एक को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या आठ लगायत दस व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के पिता नाथू के स्थान पर वादी सख्या एक का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे।

(ख) साबिक खसरा न0 546 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा के हाल खसरा न0 930 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 931 रकबा 0.19 है0, खसरा न0 932 रकबा 0.45 है0, खसरा न0 945 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या आठ लगायत दस व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के पिता नाथू के स्थान पर वादी सख्या एक को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्सा, व वादी संख्या तीन को 1/6 हिस्सा व वादी सख्या चार लगायत दस को 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे।

(ग) प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्ध फरमाया जावे कि जब तक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर उनका नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित नही कर दिया जाता तब तक प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस उक्त आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति संस्था, इत्यादि को विकय रहन, इकरारनामा इत्यादि तस्दीक नही करे और न ही करावें तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नही करें। प्रतिवादी संख्या ग्यारह को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती वनाये रखने तथा प्रतिवादी सख्या वारह को उक्त आराजीयात का विकय, रहन, इकरारनामा, मुख्तयारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के हक मे तस्दीक न करने वावत पावन्ध फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:06:28 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी पर नोटिस जारी किये गये।दिनांक 03.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री सुरेन्द्र ढाका ऐडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर

अण्डरटेकिंग दी, दिनांक 20.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 9 की तामिल समाचार पत्र में इश्तिहार देने के बाद भी उपस्थित नही, 1 माह से अधिक होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 31.05.2018 कोप्रतिवादी संख्या 8 के नोटिस बाद तामिल उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवही अमल में लाई गयी।दिनांक 20.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 10 की ओर से जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार कि यह मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजो से कोई भूमि कय की है तो उसको वादी को कोई जानकारी नहीं हैं ना ही मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने मिन प्रतिवादीगण को कभी इस तरह की जानकारी मिन प्रतिवादीगण को नही है जहां तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के काबिज होकर उपयोग उपभोग करने की बात है सरासर गलत व मनगढंत है वादग्रस्त भूमि पर मिन प्रतिवादीगण का कब्जा रहा हैं और आज भी मिन प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण ने यदि उक्त भूमि को क्रय किया है तो इसकी जानकारी मिन प्रतिवादीगण को नही है वादीगण सुष्पष्ट दस्तावेजो से स्वंय सिद्ध करें जहां तक उक्त भूमि पर कब्जे का प्रश्न है उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा कभी नहीं रहा पूर्व मे मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज थे तथा वर्तमान मे मिन प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादीगण को किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए झूठे व मनगढंत तथ्यो का समावेश कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी कार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है तथा न ही वादीगण मिन प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मिन प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं तथा मौके पर भी मिन प्रतिवादीगण काबिज है वादीगण उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी हैं तथा कानूनन वास्तविक स्वामी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादीगण ने मिन प्रतिवादीगण की भूमि को हडवने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करके सम्पूर्ण कार्यवाही की है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है वादीगण ने महज वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए झूठी कहानी का निर्माण किया है।

उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:—

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: Self Attested

तनकी संख्या 1. आया वाद वादग्रस्त भूमि साविक खसरा नम्बर 554 रकवा [illegible] बिघा 12 बिस्वा के हाल वसरा नम्बर 944 रकबा 0.34 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 2. आया वाद वादी वादग्रस्त भूमि साविक खसरा नम्बर 546 रकवा 2 बीघा 17 बिधा के हाल खसरा नम्बर 930 रकवा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 931 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 945 रकबा 0.10 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 को हिस्ता 1/3 हिस्सा, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या तीन को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 4 लगायत 10 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 3. आया वाद वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 4. आया वाद वादीगण कब्जे के अभाव में खारिज योग्य है।

प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5. आया वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि हडपने के लिए वाद प्रस्तुत किया, जो खारिज योग्य है।

वाद बिन्दु कायम होने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 सीताराम, पी0डब्ल्यू0 2 कल्याण, पी0डब्ल्यू0 3 जगदीश, पी0डब्ल्यू0 4 हनुमान के पेश किये जिनके बयान लेखबद्ध किये तथा दस्तावेजात साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 विवादित आराजी की जमांबदी संवत 2067,प्रदर्श पी–2 भू– प्रबन्ध विभाग का [illegible] 2031–2036 प्रदर्श पी–4 खसरा मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी–3 जमाबंदी [illegible] ाग का मिलान क्षेत्रफल, गिरदावरी संवत 2031 से 2032, प्रदर्श पी–5 भू– [illegible] अवधि बंदोबस्त संवत प्रदर्श पी–6 विवादित आराजी की [illegible] जमांबदी,प्रदर्श पी–9 खसरा 1989 से 2009, प्रदर्श पी–8 विवादित आराजी की [illegible] सरा गिरदावरी संवत 2032, गिरदावरी, प्रदर्श पी–10खसरा गिरदावरी,प्रदर्श पी–11 [illegible] प्रदर्श पी–12 नक्शा ट्रेस,प्रदर्श पी–13 विवादित आराजी की जमांबदी संवत 2067–2070,पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र डी0डब्ल्यू0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कैलाश, डी0डब्ल्यू0 2 सीताराम, डी0डब्ल्यू0 3 प्रहलाद के पेश किये जिनके बयान लेखबद्ध किये। साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गई। वादीगण की ओर से दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण का वाद साक्ष्य एवं दस्तावेजात अनुसार डिक्री किया जावें। प्रतिवादीगण की ओर से दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण का वाद साक्ष्य एवं दस्तावेजात से साबित नही होने से खारिज किया जावें।

बहस उभयपक्षकारान एवं तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कायम की गई तनकीयात पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है:-

1. तनकी संख्या 1:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-14 प्रस्तुत किया है जिसमें नाथू, छीतर पुत्रान कल्याण द्वारा आराजी कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 554 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सीताराम पुत्र सुवा को दिनांक 25.05.1974 को विक्रय किया गया है। वादीगण का कथन रहा है कि वर्ष 1989 से 2009 तक भू-प्रबन्धन कार्य आरम्भ हुआ जिसमें वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 554 के नये खसरा नम्बर 944 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कायम किये गये, इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर प्रदर्श-2 मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया जिसमें साबिका खसरा नम्बर 554 से हाल खसरा नम्बर 944 बनना साबित होता है, वादीगण का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण नही होने से प्रतिवादीगण का नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित होना साबित है, प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी नाथू, छीतर पुत्रान कल्याण द्वारा साबिका खसरा नम्बर 554 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा को बैचान कर देने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उनका हक व अधिकार क्रेतागण में निहित हो चुके है, इसलिए प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार वादग्रस्त भूमि में निहित नही है। प्रतिवादीगण की ओर अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. तनकी संख्या 2:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-15 प्रस्तुत किया है जिसमें नाथू, छीतर पुत्रान कल्याण द्वारा आराजी कृषि भूमि साबिका खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 546 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नाथू, जगदीश पुत्रान जगन्नाथ, सीताराम पुत्र सुवा, कल्याण पुत्र भैरू को दिनांक 25.05.1974 को विक्रय किया गया है। वादीगण का कथन रहा है कि वर्ष 1989 से 2009 तक भू–प्रबन्धन कार्य आरम्भ हुआ जिसमें वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 546 के नये खसरा नम्बर 930 रकबा 0.0600 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 931 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 945 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, कायम किये गये, इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया जिसमें साविका खसरा नम्बर 546 से हाल खसरा नम्बर 930, 931, 932, 945 बनना साबित होता है, वादीगण का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण नही होने से प्रतिवादीगण का नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित होना साबित है, प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी नाथू, छीतर पुत्रान कल्याण द्वारा साविका खसरा नम्बर 546 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा को बैचान कर देने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उनका हक व अधिकार क्रेतागण में निहित हो चुके है, इसलिए प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार वादग्रस्त भूमि में निहित नही है। प्रतिवादीगण की ओर अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. तनकी संख्या 3:–इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का था। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है, वादीगण वादग्रस्त भूमि के क्रेतागण है जिन्होने प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी से वादग्रस्त भूमि क्रय करना साबित है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. तनकी संख्या 4:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का था। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है, इस [illegible] में वादीगण की ओर से प्रदर्श–14 व प्रदर्श–15 प्रस्तुत किया है जिसमें [illegible] हकपूर्वाधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादीगण को [illegible] कब्जा सम्भला दिया जाना अंकित किया है, प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगाने

ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

5. तनकी संख्या 5:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का था।इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी, कूटरचित होना साबित हो, इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से प्रदर्श—14 व प्रदर्श—15 प्रस्तुत किया है जो एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसमें किसी प्रकार का संदेह होने की कोई सम्भावना नही है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

6. अनुतोषः— यह कि तनकी संख्या 1 लगायत 5 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है, वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी संख्या एक को ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर भूमि में स्थित साबिका खसरा नम्बर 554 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा साबिका खसरा नम्बर 546 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 930 रकबा 0.0600हैक्टेयर, खसरा नम्बर 931 रकबा 0.1900हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.4500हैक्टेयर, खसरा नम्बर 945 रकबा 0.1000हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.8000हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या आठ लगायत दस व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के पिता नाथू के स्थान पर वादी सख्या एक को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्सा, व वादी संख्या तीन को 1/6 हिस्सा व वादी सख्या चार लगायत दस को 1/6 हिस्सा का काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई दखल नही करे। न किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 11 को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखित दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested